संख्या: 26/2018/537/छप्पन-2018-81/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2018

विषय: जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 (Instrument Landing System) की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त 23.0995 हैक्टेयर भूमि के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 962/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 (Instrument Landing System) की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त 23.0995 हैक्टेयर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कुल मूल्य रूपये 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 (Instrument Landing System) की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त 23.0995 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसके सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एवं मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 867/आठ-13-2015 दिनांक 24 फरवरी, 2018 द्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार आपसी समझौते से वर्तमान में प्रभावी मूल्य दर के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार कुल 23.0995 हैक्टेयर भूमि हेतु रूपए 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार सात सौ मात्र) ऑकलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(1) कैट-1 आई0एल0एस0 की स्थापना हेतु रहीमाबाद एवं शाह उर्फ पीपलगॉव (निजी भूमि एवं सरकारी भूमि) में चिन्हित कुल क्षेत्रफल 21.6785 हैक्टेयर (दर रूपए 9500/- प्रति वर्गमीटर) कुल मूल्य रूपए 2,05,94,57,500/-(रूपए दो अरब पॉच करोड़ चौरानवे लाख सत्तावन हजार पॉच सौ मात्र)।

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोर लेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु बमरौली, अब्दुलवहाबपुर, भगवतपुर (निजी भूमि एवं सेना के पड़ाव की भूमि) में चिन्हित कुल क्षेत्रफल 1.421 हैक्टेयर कुल मूल्य रूपए 8,64,52,200/- (रूपए आठ करोड़ चौंसठ लाख बावन हजार दो सौ मात्र) जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है-

(क) निजी भूमि (ग्राम बमरौली) क्षेत्रफल 0.578 हैक्टेयर (दर रू0 9500/-प्रति वर्गमीटर) मूल्य रूपए 5,49,10,000/-(रूपए पॉच करोड़ उनचास लाख दस हजार मात्र),

(ख) सेना की भूमि (ग्राम अब्दुलवहाबपुर) क्षेत्रफल 0.578 हैक्टेयर (दर रू0 3990/- प्रति वर्गमीटर) मूल्य रूपए 2,30,62,200/- (रूपए दो करोड़ तीस लाख बासठ हजार दो सौ मात्र), तथा

(ग) सेना की भूमि (ग्राम भगवतपुर) क्षेत्रफल 0.265 हैक्टेयर (दर रू0 3220/- प्रति वर्गमीटर) मूल्य रूपए 84,80,000/-(रूपए चौरासी लाख अस्सी हजार मात्र)।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण एवं कैट-1 आई0एल0एस0 (Instrument Landing System) की स्थापना तथा एयरपोर्ट को मुख्य मार्ग से फोरलेन सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु चिन्हित की गई भूमि को राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 में विहित व्यवस्था के अनुसार आपसी समझौते से वर्तमान में प्रभावी मूल्य दर के आधार पर कुल 23.0995 हैक्टेयर भूमि हेतु रूपए 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार सात सौ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस परियोजना पर रूपए 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनसठ लाख नौ हजार सात सौ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 2,14,59,09,700/- (रूपए दो अरब चौदह करोड़ उनस लाख नौ हजार सात सौ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, इलाहाबाद से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयवद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

6- जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-251/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्याः 26/2018/537(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / इलाहाबाद।
(4) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(6) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद।
(7) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in